17/10/24

पत्रावली वास्ते लिपिक पेश हुई। उपखण्ड-
पर उपना प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया
जाता है। संबंधित लिपिक द्वारा दे निर्देशानुसार
जारी दाखिल किया गया। नंबर से दर्ज
हो
लिपिक द्वारा गया।

GCMS
2018/00170

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 126/2018 GCMS:- 2018/00170

–: अनवान :–

काले खां पुत्र मोहम्मददीन जाति मुस्लमान साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

... **प्रार्थी**

बनाम

1. भूट्टे खां
2. हासम खां
3. बग्गू खां

} पुत्रगण रोशनदीन जाति मुस्लमान साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

4. रहमत सैन पत्नी मोहम्मददीन जाति मुस्लमान साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर(मृतक)।
5. इलाही
6. सहनो

} पुत्र, पुत्री मोहम्मददीन जाति मुस्लमान साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री आनन्द स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3,
3. श्री कुलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 4 ता 6,
4. पैरोकार राज सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 17.12.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी न. 1 व अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 स्वयं के नाम ब.हि.ब. मे रोही हिन्दौर के खसरा न0 123/4 मे 8.3490 बारानी खसरा न0 168/6 मे 7.3370 है0 बारानी खसरा न0 287/168 मे 0.2530 है0 बारानी व खसरा नम्बर 286/123 मे 0.3800 है0 बारानी इस प्रकार कुल चारो खसरो मे 16.3190 है. बारानी रकबा बतौर 1955 के बाद से दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी होकर कब्जा काश्त मे चला आ रहा था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के कब्जा काश्त में जो रकबा रोही हिन्दौर का खसरा न0 123/4 मे 8.3490 बारानी खसरा न0 168/6 मे 7.3370 है0 बारानी खसरा न0 287/168 मे 0.2530 है0 बारानी व खसरा नम्बर 286/123 मे 0.3800 है0 बारानी इस प्रकार कुल चारो खसरो मे 16.3190 है0 राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर कब्जा काश्त मे चला आ रहा है। इसी रोही मे खसरा नम्बर 125/2 मे 7.3880 है0 बारानी, खसरा नम्बर 159 मे 6.1610 है0 बारानी व खसरा नम्बर 160 मे 0.6070 है0 बारानी कुल 14.1560 है0 बारानी मु0 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व उनके अन्य भाई बहनो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी भूमि हर वर्ष कास्त करता है व सुधार कर उंटो व ट्रेक्टरो से करावा लगा कर समतल की हुई है। जब कि अप्रार्थीगण पशु व रेवड चराने का कार्य करते है कास्त बहुत कम करते है। इस लिए उनकी भूमि उबड़ खाबड़ व उची होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–126 / 2018)

अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 की नजर प्रार्थी के सुधारे हुए रकबा पर है। अप्रार्थीगण की भूमि अलग होने के बावजूद वे प्रार्थी के नाम व कब्जा काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी करने की कोशिश कर रहे है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की फिराक मे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 शान्तिप्रिय लोग है। अप्रार्थीगण कब्जाधारी व्यक्ति है। इसलिए वे लोग प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 जैसे लोगो को शिकार बना कर उनकी जमीन पर जबरिया कब्जा करना चाहता है। जिससे प्रार्थी की काश्तशुदा फसल नष्ट हो जाती है जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होता है। प्रार्थी के बार बार समझाने पर भी नही मानते है तथा जबरिया के खेत मे दखलन्दाजी करते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 ता 3 की इन्ही हरकतो से तंग आकर अदालत की शरण ली है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 को प्रार्थी के नाम की भूमि मे दखलन्दाजी करने अथवा फसल नष्ट करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने अपने हको की रक्षा करने के लिए ही यह वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 3 के चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है जो काबिल डिक्री के है। प्रार्थी ने ग्राम हिन्दौर में एक पंचायती भी दिनांक 03.07.2018 को ग्राम के मौजीज लोगो की बुलाई जिसमें पंचायती में उपस्थित लोगो ने भी अप्रार्थीगण 1 ता 3 को समझाया कि जैरप्रकरण भूमि प्रार्थी की भूमि है जिस पर कब्जा करना गैरकानूनी है तथा अपराध है इसलिए आप लोग प्रार्थी की जैरवाद भूमि दखलन्दाजी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो प्रार्थी अदालत में तुम्हारे खिलाफ वाद प्रस्तुत करेगा जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इस पर अप्रार्थीगण 1 ता 3 कहने लगे कि हमने बहुत अदालते देखी है हमें अदालतो का डर नहीं लगता हम तो प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करेगे हमारे पास अपने कब्जा काश्त की भूमि बहुत कम है। जिससे हमारा गुजारा नही चलता। हम तो जैरप्रकरण भूमि पर कब्जा करेगे। अप्रार्थीगण न 1 ता 3 को प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने से रोका जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी का खसरा नम्बर अलग है। अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 का खसरा नम्बर अलग है। फिर भी वो प्रार्थी के कब्जा कास्त मे जबरीया घुसना चाहते है। उन्हे रोका जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी शांति प्रिय लोग है। अदालत से आदेश करवाना प्रार्थी का कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के लोग है। रकबा अब चक बन्दी मे आ रहा है। जिसके चक 6 एम.सी.एम व 7 एम.सी.एम. मे पैमूद हुआ है परन्तु चकबन्दी अभी तक पूरी नही हुई है। अप्रार्थीगण न. 4 ता 6 जिनको प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण बनाये गये है, का भी उतना ही हक व हिस्सा है जितना प्रार्थी का है। इन अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 6 से प्रार्थना पत्र मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। जैरप्रकरण भूमि पर अप्रार्थीगण न. 1 ता 3 जबरिया बतौर अतिक्रमी काबिज होने की फिराक मे है। अप्रार्थीगण न. 1 ता 3 को कोई विधिक अधिकार जैरप्रकरण भूमि के सम्बन्ध मे नही है। अप्रार्थीगण न. 1 ता 3 जैरप्रकरण भूमि पर जबरीया कब्जा करने की फिराक मे है इस लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र में निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। वाद पत्र के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थी के रकबा में दखलन्दाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही अगर प्रार्थी के रकबा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 घुस गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अत्यन्त ही आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ की रोही हिन्दौर के खसरा न0 123 / 4 मे 8.3490 बारानी खसरा न0 168 / 6 मे 7.3370 है0 बारानी खसरा न0 287 / 168 मे 0.2530 है0 बारानी व खसरा नम्बर 286 / 123 मे 0.3800 है0 बारानी इस प्रकार कुल चारो खसरो मे 16.3190 है. भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–126 / 2018)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 पूर्व में हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। बाद में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 05.01.2021 को एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने पर अप्रार्थी न. 1 ता 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी सन् 1955 के बाद का काश्तकार हैं, खातेदार नहीं हैं इसलिए दावा नहीं ला सकता हैं। प्रार्थी द्वारा दर्ज करवाये गये तथ्य मनगढ़त हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता रोशनदीन पुत्र नवाब के नाम से खसरा नम्बर 125 / 2 / 7.3880 हैक्टेयर बा0, 159 / 6.1610 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 160 में 0.6070 हैक्टेयर बारानी कुल 14.1560 हैक्टेयर भूमि 1955 पूर्व की आवंटनशुदा हैं जो कि भूमि 1955 के पूर्व की हैं व उस समय हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो कब्जा अप्रार्थीगण के पिता को सौंपा गया था उसी अनुरूप अप्रार्थीगण कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा हैं। रोही हिन्दौर में पत्थरगढ़ी सही नही होने के कारण वादी अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मदालखत बेजा करने के आशय से ये दावा लाया गया हैं। जब तक पथरगढ़ी सही नहीं हो जाती तब तक प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद पत्र के निर्णय तक स्थायी की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों व संबंधित कानून का सम्मानपूर्वक अध्ययन व मनन किया। जमाबन्दी चित्रप्रति अनुसार जैरप्रकरण भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि भिन्न खसरो में हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 ता 3 के भूमि के खसरे समान नहीं हैं। इस प्रकार जैरप्रकरण भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कोई हित प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता हैं। इसलिए मूल वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत होती हैं। ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता हैं तथा इस अदालत द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.20218 को स्थायी किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वे मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की रोही हिन्दौर के खसरा न0 123 / 4 मे 8.3490 बारानी खसरा न0 168 / 6 मे 7.3370 है0 बारानी खसरा न0 287 / 168 मे 0.2530 है0 [illegible] 123 मे 0.3800 है0 बारानी इस प्रकार कुल चारो खसरो मे 16.3190 [illegible] क्टेयर में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.202[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)